मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 **Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors** में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 पर संयुक्त जांच आख्या /रिपोर्टः–

मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः–

1- The applicant is seeking direction from this Hon'ble Tribunal to direct respondents to take adequate steps immediately to enforce the compliance of conditions imposed in para 8, para11 and para 18 of NOC issued by Special Secretary, Uttar Pradesh Government in connection with the permission to use 129.251 hectare the forest lands and cutting of 18632 trees of Kaimoor Wildlife Sanctuary in Sonbhadra, Obra and Renukoot Forest Divisions for the upgradation and widening of the NH-6A to the U.P. State Highway Authority (UPSHA) wherein, it has been stipulated that no labour camp shall be established on the Forest Land. However, in violation of the said provision ACP Toll-ways Private Limited has constructed residential colony and offices of permanent nature in the eco-sensitive zone on the land of Reserve Forest Area at Lodhi, Robertsganj in the District Sonbhadra.

2- Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Additional Chief Secretary, Forest Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Sonbhadra and direct the same to meet, undertake visit to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3- In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to:-

(i) the concerned Project Proponents to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections

against observations/recommendations in the same and their response before this Tribunal is so desired within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee; and

(ii) the concerned Statutory Authorities including State PCB, PCCF (HoFF) and District Magistrate, Sonbhadra to enable them to take appropriate remedial action by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution /degradation and for protection and improvement of environment and submit their action taken reports within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee.

मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–एच 85490/सी 2/एन0जी0टी0–07/22 दिनांक–12.12.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–445/36–8 (एन0जी0टी0) दिनांक–16.12.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग को तथा जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र को समिति का सदस्य नामित किया गया है।

उक्त के क्रम में दिनांक–31.12.2022 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा संयुक्त रुप से प्रश्नगत क्षेत्र के मौके का निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा शिकायतकर्ता श्री आशीष चौबे के मो0नं0 7838296401 पर सम्पर्क स्थापित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तिथि को मौके पर आने से असमर्थता व्यक्त की गयी। मौके के निरीक्षण के पश्चात अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जिसमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:–

1. अवगत कराना है कि "उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु (1) मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 0.00 से 39 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र में किमी0 72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वन भूमि (3) कैमूर वन्य जीव प्रभाग, जनपद मीरजापुर में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वन वन भूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन (4) ओबरा वन प्रभाग, जनपद–सोनभद्र में किमी0 87.00 से 115.00 तक 52.577हे0 रक्षित वन भूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन (5) रेनुकूट वन प्रभाग, जनपद–सोनभद्र में किमी0 15.60 से 117.650 किमी0 तक 4.77हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों का पातन, परियोजना के समेकित प्रस्ताव में कुल 34.014हे0 आरक्षित वन भूमि, 72.377हे0 रक्षित वन भूमि, 22.860हे0 संरक्षित वन

भूमि कुल 129.251हे0 (आरक्षित/रक्षित/संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 18632 वृक्षों के पातन के समेकित प्रस्ताव के अनुमति" के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा 39 शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी किया गया है। जिसके शर्त संख्या 8, 11 व 18 निम्नानुसार हैः–

शर्त संख्या–8:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।

शर्त संख्या–11:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के बाहर दोनो ओर कमरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।

शर्त संख्या–18:– वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलौनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

2. प्रकरण ग्राम–लोढी, परगना–बड़हर, तहसील–रावर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र में स्थापित ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लि0 द्वारा वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के किमी0 72.00 से 73.00 के बीच (साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0) से सम्बन्धित है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। उक्त निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्दर है।

3. उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में तत्समय में प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र तथा मौके पर निर्माण कार्य में निम्नलिखित भिन्नता पायी गयीः–

   i. ले–आउट प्लान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं टोल प्लाजा तथा पूर्व निर्मित मार्ग के बांयी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग व आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का विस्तृत फ्लोर प्लान/ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

   ii. प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर पूर्व में निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण न करते हुए नये मार्ग का निर्माण तथा नये मार्ग के दांयी तरफ एकीकृत एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एवं आवासीय कक्षो का निर्माण किया गया। जो ले–आउट प्लान के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है।

   iii. ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु मौके पर नये मार्ग का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है।

   अतः उक्त निर्माण कार्य प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है। **ले–आउट प्लान, टोपोशीट व गूगल अर्थ से प्राप्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–चित्र की प्रति संलग्न है, संलग्नक–1।**

4. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–. 1101/सोनभद्र/33 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "इस वन प्रभाग के

अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी0 72.00 से 73.00 ग्राम–लोढी के साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0 वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकरण तथा टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं आफिस के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं टोपाशीट के अनुसार विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा अनुमति जारी किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित आफिस एवं प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित वन भूमि 7.517हे0 पर ही बांयी पटरी से इतर दायी पटरी पर किया गया है।'' **पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संनग्नक–2।**

5. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1611/33–1 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि ''प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम–लोढी में पूर्व से निर्मित वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के बांयी तरफ निर्मित टोल प्लाजा एवं आवासीय कालोनी आदि कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सटिव जोन के अन्दर है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय अभिलेखों में नहीं पाया गया।'' **पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संनग्नक–3।**

अतः उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के अन्तर्गत किमी0 संख्या 72.00 से 73.00 के मध्य मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण कार्य एवं टोल प्लाजा का निर्माण हेतु 7.517हे0 वन भूमि की अनुमति लिया गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का विस्तृत फ्लोर प्लान/ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत है, जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र	अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संयुक्त जाँच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त किया

SDO(C)

Mob: 8299847680

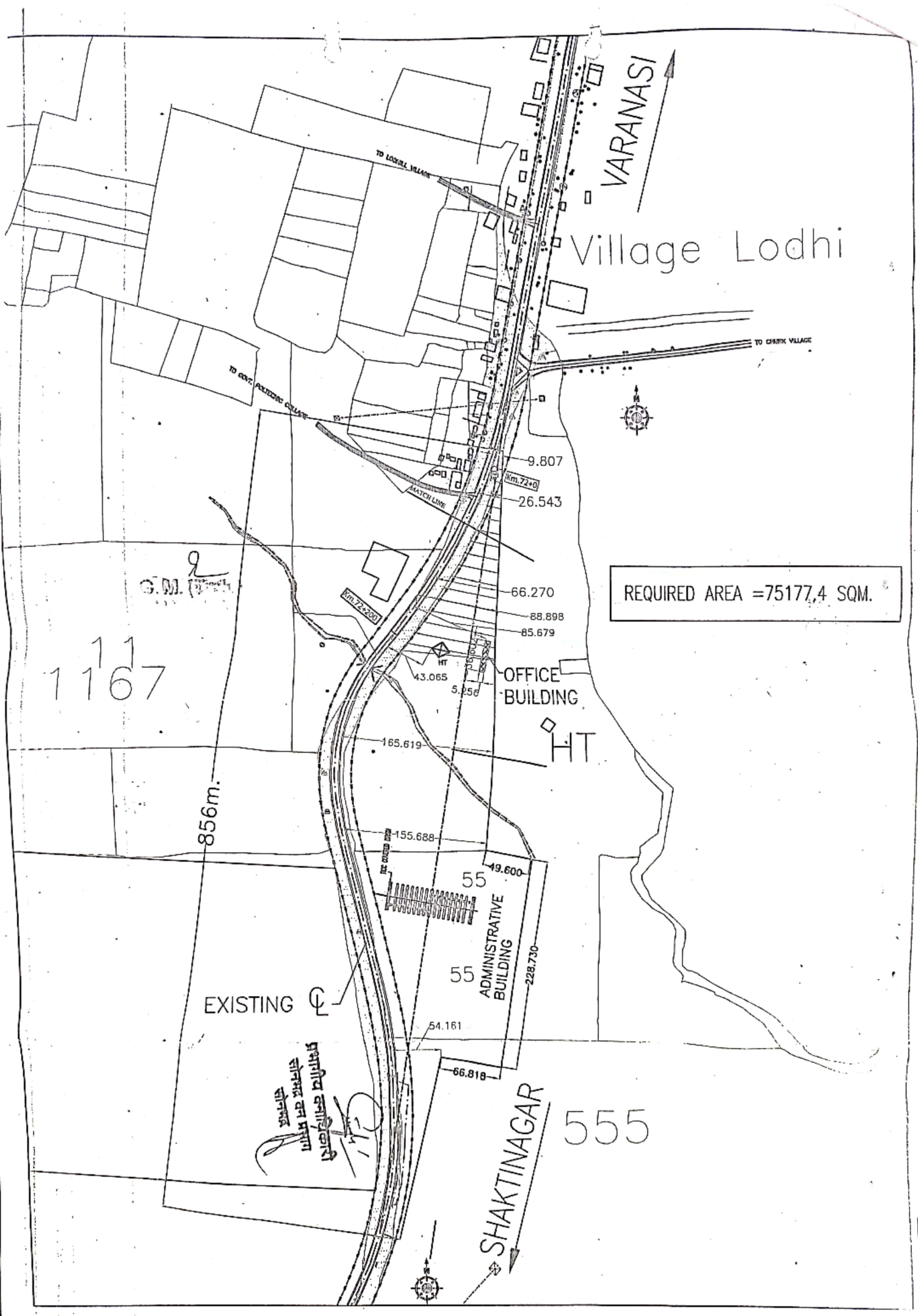

VARANASI
TO LODHI VILLAGE
Village Lodhi
TO CHURK VILLAGE
TO GOVT. POLYTECHNIC COLLAGE
9.807
Km.72+0
MATCH LINE
26.543
G.M.
REQUIRED AREA =75177.4 SQM.
66.270
Km.72+200
88.898
85.679
HT
43.065
5.256
OFFICE
BUILDING
1167
HT
165.619
856m.
155.688
49.600
55
ADMINISTRATIVE
BUILDING
55
228.730
EXISTING ℄
54.161
66.818
SHAKTINAGAR
555

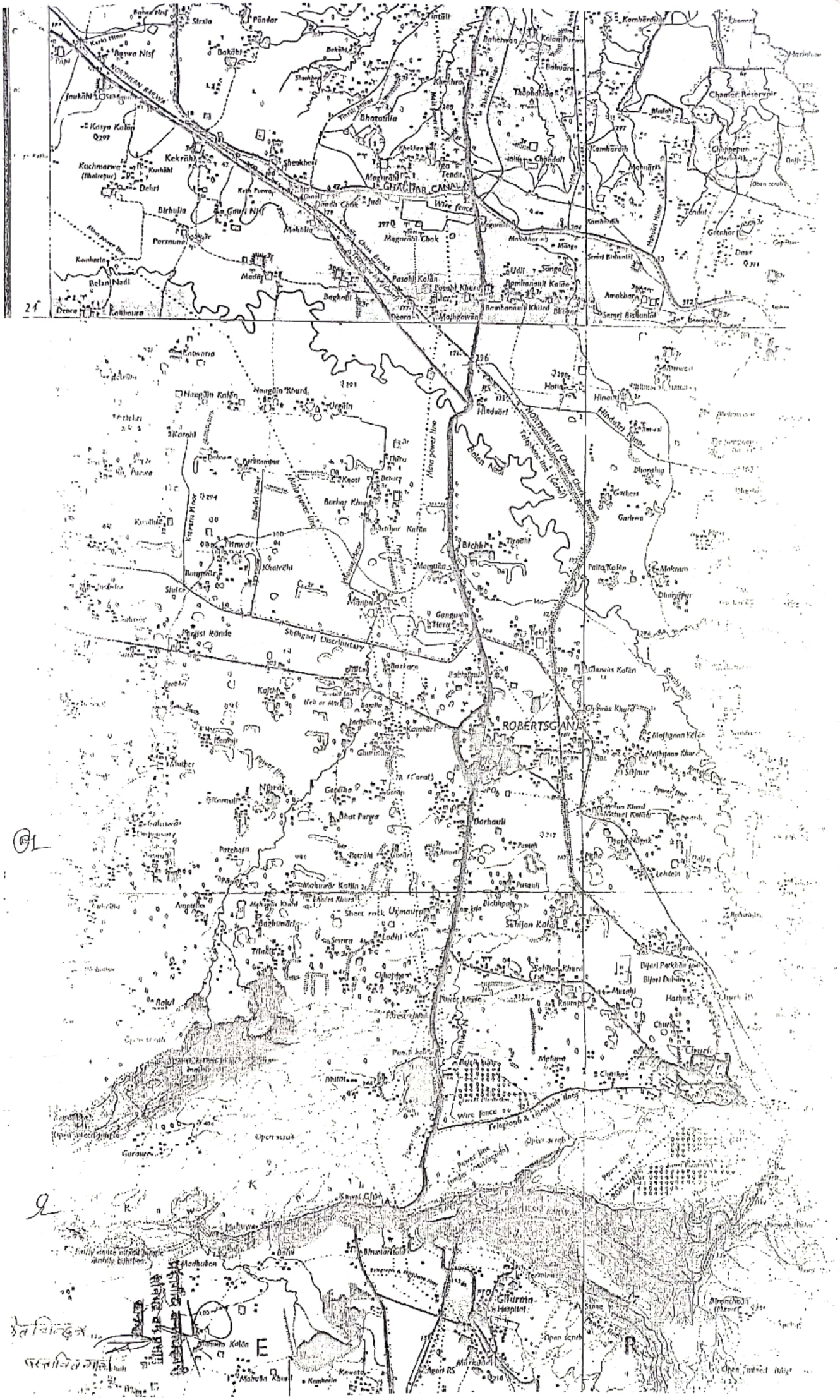

Sirsia
Pandar
Tintali
Kombardih
Chamar
Bakahi
Kolan Puram
Bahuara
Jaukahi
Northern Railway
Bhatauliya
Kasya Kalan
Thopadabad
Chamar Reservoir
Kekrahi
Sheokheri
Chandali
Kamhardih
Kuchmarwa
(Bhairopur)
Kuchahi
Dehri
Magurahi
Tendit
Ghaghar Canal
Chopepur
Birhulia
Gauri Nisf
Dandi Chak
Judi
Wire fence
Tendri
Mahalia
Magurahi Chak
Parsauna
Madari
Pasahi Kalan
Pasahi Khurd
Udli
Sango
Belan Nadi
Baghahi
Bamhanauli Kalan
Amokhar
Deora
Kaithaura
Majhgawan
Bamhanauli Khurd
Semri Bishunlal
Katwaria
Naugain Kalan
Naugain Khurd
Uregain
Hatia
Hinauti
Hinduari
Hinduari Minor
Karahi
Northern Ry
Telephone line
Belan Nadi
Main power line
Keoti
Barhar Khurd
Bhartha
Garbwa
Barhar Kalan
Bichhi
Tiyara
Pitmwar
Khairahi
Malia Kalan
Makram
Mampur
Gangauli
Tara
Rajesi Konde
Shahganj Distributary
Ghuwas Kalan
Kaithi
Kambar
Robertsganj
Ghuwas Khurd
Majhgaon Kalan
Majhgaon Khurd
Gadiha
Bhat Purwa
Barhauli
Pasahi
Nagal Khurd
Tiyara Nisf
Patahara
Mahuwar Kalan
Amauliya
Bichhpar
Urmaura
Sukhijan Kalan
Baghmari
Lodhi
Sukhijan Khurd
Musahi
Chhoftha
Power house
Church
Melam
Chatkpa
Wire fence
Telegraph & telephone line
Open scrub
Power line
Karwat Ghat
Mahuwar
Bhumharidih
Ghurma
Hospital
Madhuban
Marwatha
Kalan
Agori RS
Kawata
Markundi
Open scrub
E
R
K

संलग्नक - 1/3

Untitled Map
Write a description for your map.
Government Polytechnic Sonbhadra
Circuit House Sonbhadra UP
Son View Point
ACP Tollways Pvt
Legend
Circuit House Sonbhadra UP
Feature 1
Government Polytechnic Sonbhadra
Korai Ghat
Google Earth
500 m

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

पत्रांक 110/सोनभद्र/33 दिनांक, रावर्टसगंज, जनवरी– 12 2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 पर कार्यवाही करनें के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्रांक–1427/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक–31.12.2022.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी0 72.00 से 73.00 ग्राम–लोढी के साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0 वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकरण तथा टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं आफिस के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं टोपाशीट के अनुसार विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013 –800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा अनुमति जारी किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित आफिस एवं प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित वन भूमि 7.517हे0 पर ही बांयी पटरी से इतर दायी पटरी पर किया गया है। ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–2720/सोनभद्र/33 दिनांक–21.06.2019 व पत्रांक–1938/ सोनभद्र/33 दिनांक–31.12.2022 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से आख्या उपलब्ध करानें का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान व टोपोशीट की प्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/1/23

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संलग्नक-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– 161 /33–1 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी, 12 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए.संख्या–636/2022 आशीष चौबे बनाम ए. सी.पी. टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07–09–2022 पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–1426/33बन्दो0 दिनांक 31–12–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग(एस–एच–5ए) के चौडीकरण का प्रस्ताव मुख्य कार्यलय अधिकारी, उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्रासधिकरण गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या–1172/प्रा0वि0–18(वन)2011–12 उपशा/लखनऊ दिनांक 23–03–2012 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत गुर्मा रेंज में पड़ने वाला उक्त मार्ग किमी0 सं0 73 से 87 में से किमी0 73 से 76 तक 3.00 किमी0 कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र तथा किमी0 76 से 87 तक लम्बाई 11.00 किमी0 कैमूर वन्य जीव विहार के बाहर मार्ग का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसे प्रभाग स्तर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–4076/33–1 दिनांक 18–05–2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को भेजा गया।

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या–2297/26–11 दिनांक 29–05–2012 द्वारा कतिपय कमियों को पूर्णकर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव दिनांक 05–06–2012 को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक–4357/33–1 दिनांक 07–06–2012 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर के माध्यम से भेजा गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–400/28–11(एस.एच.–5ए) दिनांक 08–08–12 द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने के क्रम मे मुख्य अभियन्ता/सदस्य(तकनीकी) उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राविधिकरण, लखनऊ के पत्रांक–766/प्राविo–18 (4) वन/2012–13/उपशा दिनांक 25–08–2012 द्वारा अवगत कराया गया कि "प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्माण के फलस्वरूप किमी073 से 76 के भाग चौड़ीकरण का कार्य नही किया जाना है, उसे यथावत अनुरक्षित किया जाना है।" (संलग्नक–1)

उक्त के क्रम में वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ससेकित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–500/11–सी–44 दिनांक 22–09–2012 द्वार उ0प्र0, शासन, लखनऊ को भेजा गया।(संलग्नक–2)

शासन द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या–8ए/यू.पी./06/1150/एफ.सी./855 दिनांक 12–10–2012 द्वारा अपेक्षा की गयी कि "प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण में कुछ भाग कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजर रहा है अतः राज्य सरकार निम्न 02 बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रस्तुत करें।"

(1) प्रस्तावित कार्य के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद की संस्तुति प्रस्तुत करें।
(2) मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्रस्तुत करें। संलग्नक–3

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–653/11सी–44 दिनांक 19–10–2012 द्वारा वांछित 2 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित की गयी। संलग्नक–4 तदोपरान्त

भारत सरकार के पास एफ नं0 8–86/2012–एफ.सी. दिनांक 31–05–2013 द्वारा 31 शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक शर्तो का अनुपालन किये जाने के उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ नं.8–86/2012–एफ.सी. दिनांक 14–11–2013 द्वारा जारी विधिवत स्वीकृति के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/20 दिनांक 31–03–2014 द्वारा शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त से स्पष्ट है कि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत मारकुण्डी ढलान से नीचे किमी0 सं0 76 से 87 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम लोढ़ी में पूर्व से निर्मित वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के बायी तरफ निर्मित टोल प्लाजा एवं आवासीय कालोनी आदि कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्दर है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय कार्यालय अभिलेखों में नही पाया गया।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या– 161 / 33-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि:–मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।